

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-443) अलेसे-1/372-383

दिनांक:- 12/06/2025

आदेश

श्री मानसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंग नं0- 3000) आदेशों की प्रतीक्षा में, हाल मुख्यालय निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मीणा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। श्री मीणा का निलम्बन काल में मुख्यालय कोषाधिकारी, अलवर रहेगा।

श्री मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



(बृजेश किशोर शर्मा)

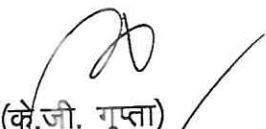
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-443) अलेसे-1/372-383

दिनांक:- 12/06/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कार्मिक के विरुद्ध सीसीए नियम-16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव इस निदेशालय को भिजवाये जाने का श्रम करावें।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला परिवहन कार्यालय, सवाईमाधोपुर।
4. कोषाधिकारी, अलवर।
5. श्री मानसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, आदेशों की प्रतीक्षा में हाल मुख्यालय निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
8. जांच शाखा/एपीएआर शाखा/डीपीसी शाखा/ पदस्थापन सीट।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)